Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 5, April-2019, ISSN 2230-7540

दिल्ली व हरियाणा राज्य में प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रति लोगों में जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Yogendra Singh*

Teaching Assistant, Political Science Department, Bhagat Phool Singh Women's University, Regional Center Lula Ahir, Rewari

शोध सारांश – *प्रस्तुत शोध पत्र दिल्ली व हरियाणा राज्य में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रति लोगों में जागरूकता स्तर के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। भारत में स्त्री-पुरूष लिंगानुपात में निरन्तर कमी आ रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर 940 महिलाएँ हैं जबकि हरियाणा राज्य में प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में मात्र 879 महिलाएँ हैं। वहीं दिल्ली में प्रति हजार पुरूषों की तुलना में मात्र 868 महिलाएँ हैं। इस असंतुलित लिंगानुपात का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। पुरूष प्रधानता, वंश परम्परा, असुरक्षा की भावना, दहेज प्रथा, एकाकी परिवार की अवधारणा और लोगों की संकीर्ण मानसिकता आदि कारणों से कन्या भ्रूण हत्या की समस्या समाज में निरन्तर गतिमान है। अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा 42 बहुउद्देश्यपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग किया गया। जिसके लिए 600 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया। सम्बन्धित आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार व अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि लिंगानुपात की समस्या का समाधान केवल विधायिका एवं कानून द्वारा संभव नहीं है।इसके लिए सामाजिक जागरूकता की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके।*

मुख्य शब्द – *पी.एन.डी.टी. एक्ट, जागरुकता, क्रियान्वयन, प्रावधान, लिंगानुपात।*

----------X----------

भूमिका

महिलायें किसी भी समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। महिला प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति असंभव है। कार्लमाक्र्स ने भी कहा था कि "किसी समाज में महिलाओं की प्रगति को जानना हो तो उस काल विशेष में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालो।" परिवार, समाज और राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में पुरूषों एंव महिलाओं का समान योगदान होता है। अतः पुरूषों और महिलाओं का अनुपात समान रहना चाहिएअन्यथा सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। प्रकृति ने भी इस व्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन कुछ निर्दयी माता-पिताने लिंगानुपात को विषम बना दिया। आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, ऑनर किलिंग आदि कुरीतियाँ प्रबल वेग से विद्यमान है।[1] लड़कियों के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अत्याचार की कहानी सबसे पहले घरों से ही शुरू होती है। भ्रूण हत्या के जरिये वे माँ की कोख में हिंसा का शिकार होती हैं। अतः लिंग भेद पर आधारित पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों पर अत्याचार और यातना की कहानी गर्भ के अन्दर से ही प्रारम्भ हो जाती है।[2]

चिकित्सा विज्ञान ने बीमारी के क्षेत्र में अनेक मौलिक शोध कार्य किये हैं। लाखों लोगों को असाध्य रोगों से बचाया है, लेकिन मनुष्यअपने स्वार्थ के लिए अच्छी चीजों का भी दुरूप्रयोग करता है। गर्भ में शिशु का स्वास्थ्य कैसा है, इसे जानने के लिए अल्ट्रासांऊड तकनीकका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से यह भी ज्ञात हो जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इस तकनीक के कारण गर्भपात की समस्या और अधिक बढ़ गई। आज विश्व स्तर पर देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या एक ज्वलन्त एवं संवेदनशील चर्चा का विषय है। सदियों से सामाजिक मौन स्वीकृति के तले यह

www.ignited.in

दुष्कृत्यसतत् रूप से गतिमान है। कन्या भ्रूण हत्या के स्वरूप में समयानुसार बदलाव आया है।[3] कुछ दशक पहले जहाँ कन्याओं को अफीम चटाकर, दूध में डुबोकर, गला घोंटकर, चावल की मांड पिलाकर, गला रून्ध कर, उसकी नाभि में तम्बाकू रखकर मार दिया जाता था, अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्हें जन्म लेने से ही वचिंत किया जा रहा है। अतः कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 बनाया, जिसे जनवरी 1996 से देश में लागू किया गया। इस अधिनियम को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया। इसके अन्तगत लिंग जाँच और चयन पर रोक लगा दी गई। संशोधन के बाद इसे 14 फरवरी 2003 से लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत अल्ट्रासोनोंग्राफी अथवा गर्भजाँच परीक्षण विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है4।

अध्ययन के उद्देश्य

दिल्ली व हरियाणा में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रति लोगों में जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अधिनियम के अन्तर्गत लिंग जाँच करने वाले माता-पिता के लिएनिर्धारितसजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधानों के प्रति लोगों के जागरूकता स्तर को जानना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रति उत्तरदाताओं के जागरूकता स्तर पर आधारित है। अनुसंधान के लिए हरियाणा व दिल्ली का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसके लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े चयनित क्षेत्रों के 300 + 300 = 600 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार व अनुसूची विधि द्वारा एकत्रित किये गये है। इसके अतिरिक्त अवलोकन विधि का भी प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आकड़े विषय से संबंधित समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों, शोध-प्रपत्रों, इंटरनेट आदि के माध्यम से एकत्रित किये गये हैं। आकड़ों का विश्लेषण एसपीएसएस (SPSS) सोफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, जिसमें काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग करके प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उपयोगी सुझाव भी प्रदान किये गये है।

काई वर्ग परीक्षण सूत्र $x_c^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$

परिणाम और विचार विमर्श

कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून की जानकारी

किसी भी कानून की सफलता और असफलता उसके प्रति लोगों के जागरुकता स्तर पर निर्भर करती है क्योंकि लोग जितने अधिक जागरुक होने तो अधिकारी और कर्मचारी उतने ही चौकन्ने होंगे और उसे सख्ती से लागू करेंगें तभी वह कानून पूर्ण रूप से सफल हो सकेगा। इसलिए जनता की जागरुकता की ही कानून की सफलता का पैमाना माना जाता है। इसी विवरण के आधार पर हरियाणा और दिल्ली के उत्तरदाताओं से कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून की जानकारी के स्तर को जानने का प्रयास किया गया।

तालिका 1.1

क्या आपको कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून की जानकारी है।

क्रं0 सं0	राज्य	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	हरियाणा	132 (22.00%)	168 (28.00%)	300 (50.00%)
2	दिल्ली	214 (35.67%)	86 (14.33%)	300 (50.00%)
3	कुल	346 (57.67%)	254 (42.33%)	600 (100%)

स्रोत : प्राथमिक आँकड़ें

काई वर्ग परीक्षण Chi-Square Tests

	df	Value	Asymo.Sig (2-sided)
Pearson Chi-Square		45.906[a]	
Continuity Correction[b]	1	44.793	.000
Likelihood Ratio	1	46.572	.000
Fisher's Exact Test	1		.000
Linear-by-Linear Association		45.829	
N of Valid Cases	1	600	.000

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 127.00.

www.ignited.in

उपरोक्त तालिका व बार ग्राफ 1.1 से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में 57.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी 'गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971' व 'प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994' कानूनों की जानकारी है। जिसका कारण उत्तरदाताओं की शिक्षा के स्तर का उच्च होना है जबकि 42.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसे किसी कानून की जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य में 28.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून की जानकारी नहीं है जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस विषय में जानकारी है। वहीं दिल्ली में 35.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसे कानूनों की जानकारी है जबकि 14.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसे किसी भी कानून सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली व हरियाणा राज्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य की तुलना में दिल्ली के उत्तरदाताओं को भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून की जानकारी अधिक है।

दिल्ली व हरियाणा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून के मध्य सम्बन्ध को जानने के लिए काई-वर्ग परीक्षण (chi square test) का प्रयोग किया गया। जिसका सार्थक मूल्य (significant value) निकल कर आया जो कि .05 से कम है अतः इससे स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में इस विषय को लेकर सहसम्बन्ध (association) है।

अतः तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में आधे से अधिक उत्तरदाताओं को भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून की जानकारी हैं। उत्तरदाताओं की कानून सम्बन्धी जानकारी का कारण उनकी उच्च शिक्षा व शहर क्षेत्र में आवास होना है।

आपके अनुसार PCPNDT Act 1994 के तहत माता-पिता को सजा व जुर्माने का प्रावधान

लिंग परीक्षण के लिए के लिए डॉक्टर के साथ-साथ माता-पिता को भी समान रूप से दोषी माना गया है। डॉक्टर तो माता-पिता के कहने पर ही लिंग परीक्षण किया जाता है क्योकि यदि माता-पिता जाँच के लिए डॉक्टर के पास ही नहीं जायगे तो यह परीक्षण संभव नहीं है। इसी कारण सरकार द्वारा लिंग जाँच करने वाले माता-पिता कि लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है ताकि ऐसा करने वाले माता-पिता को दण्ड देकर इस अपराध को कम अथवा समाप्त किया जा सके। अतः निम्न तालिका में उत्तरदाताओं से इस सजा व जुर्माने के प्रावधान की जानकारी प्राप्त की गई है।

तालिका 1.2

आपके अनुसार PCPNDT Act 1994 के तहत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधान की जानकारी।

क्रमांक संख्या	राज्य	3 साल की सजा व 50 हजार रूपये जुर्माना।	5 साल की सजा व 1 लाख रूपये जुर्माना।	कोई जानकारी नहीं।	आजीवन कारावास	कुल जोड़ व प्रतिशत
1	हरियाणा	139 (23.17%)	102 (17.00%)	54 (09.00%)	05 (00.83%)	300 (50.00%)
2	दिल्ली	138 (23.00%)	108 (18.00%)	15 (02.50%)	39 (06.50%)	300 (50.00%)
3	कुल	277 (46.17%)	210 (35.00%)	69 (11.50%)	44 (07.33%)	600 (100%)

स्रोतः प्राथमिक आँकड़े

काई वर्ग परीक्षण Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	49.510[a]	4	.000
Likelihood Ratio	55.973	4	.000
Linear-by-Linear Association	35.858	1	.000
N of Valid Cases	600		

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

www.ignited.in

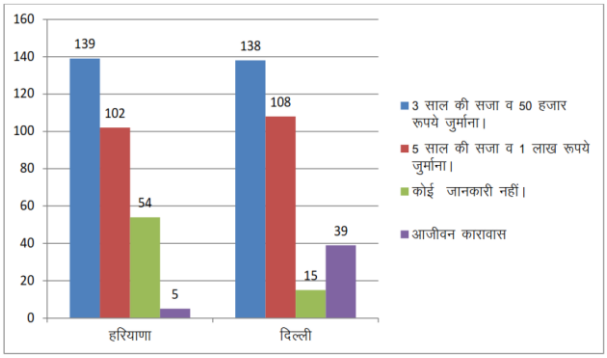

तालिका व बार ग्राफ 1.2 से प्राप्त आकड़ों के परिणामों से स्पष्ट हैं कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में 46.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अन्तर्गत माता-पिता के लिए निर्धारित की गई 3 साल की सजा व 50 हजार रूपये जुर्माना सम्बन्धी प्रावधान की जानकारी है। उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें यह जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों जैसे-आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम व टेलिविजन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त हुई। वहीं 35.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किये गये 5 साल की सजा व 1 लाख रूपये की भी जानकारी है जो कि उत्तरदाताओं के उच्च जागरूकता स्तर को दर्शाता है। वहीं मात्र 07.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मानना है कि अधिनियम के तहत माता-पिता के लिए आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है। जबकि दिल्ली व हरियाणा राज्य में 11.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ऐसे भी है जिनका ये मानना है कि उन्हें अधिनियम से सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य में 23.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत 3 साल की सजा के साथ 50 हजार रूपये जुर्माना, 17.00 प्रतिशत के अनुसार 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रूपये जुर्माना व 00.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है जबकि हरियाणा राज्य में 09.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार दिल्ली में 23.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत 3 साल की सजा के साथ 50 हजार रूपये जुर्माना, 18.00 प्रतिशत के अनुसार 5 साल की सजा के साथ 1 लाख रूपये जुर्माना व 06.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की गई है जबकि हरियाणा राज्य में 02.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

इसी प्रकार दिल्ली व हरियाणा राज्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट है की प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत माता-पिता के लिए निर्धारित की गई सजा व जुर्माने से सम्बन्धी आजीवन कारावास की सजा को लेकर दिल्ली के उत्तरदाताओं का जागरूकता स्तर हरियाणा राज्य की तुलना में अधिक है जबकि अन्य सभी स्तरों को लेकर उत्तरदाताओं की जानकारी का स्तर समान है।

दिल्ली व हरियाणा राज्य के उत्तरदाताओं से प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए निर्धारित किये गए सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधान के बीच संबंध को जानने के लिए काई-वर्ग परीक्षण (chi square test) का प्रयोग किया गया। जिसका सार्थक मूल्य (significant value) .00 निकल कर आया जो कि .05 से कम है। जिससे स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर दोनों में सहसम्बन्ध (association) है।

अतः तालिका से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में ज्यादातर (88.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए निर्धारित किये गए सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधान की जानकारी है जबकि दिल्ली व हरियाण राज्य में थोडे बहुत उत्तरदाता ऐसे भी है जिनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

एक्ट के तहत माता-पिता के लिए किये गए सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधानों से कितने सहमत हैं।

कई बार कानूनों अथवा प्रावधानों में किये गये सजा व जुर्माने के कारण भी लोग उस अपराध को करने से धबराते है जो कि उस अधिनियम की महत्त्ता को भी दर्शाता है। इसी आधार पर शोध में उत्तरदाताओं से कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी अधिनियम 1994 में माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधानों को लेकर सहमती के स्तर को जानने का प्रयास किया गया है

तालिका 1.3

आप एक्ट के तहत माता-पिता के लिए किये गए सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधानों से कितने सहमत हैं।

क्रमांक संख्या	राज्य	सहमत	असहमत	कोई राय नहीं	कुल जोड़ व प्रतिशत
1	हरियाणा	96 (16.00%)	118 (19.67%)	86 (14.33%)	300 (50.00%)
2	दिल्ली	82 (13.67%)	167 (27.83%)	51 (8.50%)	300 (50.00%)
3	कुल	178 (29.67%)	285 (47.50%)	137 (22.83%)	600 (100%)

स्रोतः प्राथमिक आकड़ें।

काई वर्ग परीक्षण Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	87.801[a]	5	.000
Likelihood Ratio	109.725	5	.000
Linear-by-Linear Association	2.018	1	.155
N of Valid Cases	600		

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.50.

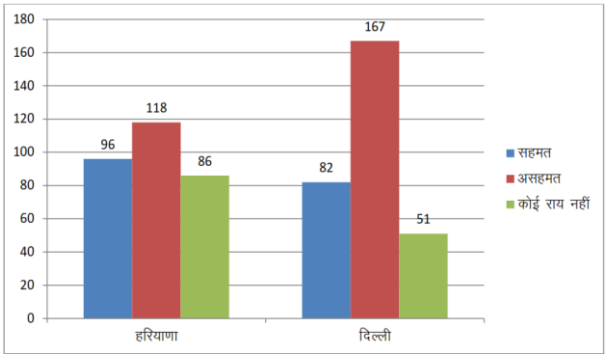

उपरोक्त तालिका व बार ग्राफ से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य के कुल 47.50 प्रतिशत उत्तरदाता प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को लेकर असहमत है। जिनकी असहमती का कारण अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली सजा की लम्बी प्रक्रिया व्यवस्था है। 29.67 प्रतिशत उत्तरदाता अधिनियम के अन्तर्गत किये गये सजा व जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को लेकर सहमत है। वहीं 22.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन प्रावधानों से सम्बन्धी कोई राय नहीं दी।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य में 19.67 प्रतिशत उत्तरदाता प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को लेकर असहमत, 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है। जबकि 14.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय को लेकर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की।

वहीं दिल्ली में 27.83 प्रतिशत उत्तरदाता प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को लेकर असहमत, 13.67 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है। जबकि 08.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय को लेकर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की।

दिल्ली व हरियाणा राज्य का तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य की तुलना में दिल्ली के उत्तरदाता प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अन्तर्गत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधान से अधिक असहमत है। वहीं दिल्ली की तुलना में हरियाणा राज्य में ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है जिन्होंने इस विषय को लेकर कोई राय प्रदान नहीं की।

दिल्ली व हरियाणा राज्य में प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अन्तर्गत माता-पिता के लिए किये गये सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधानों के, सहमति स्तर के बीच के संबंध को जानने के लिए काई-वर्ग परीक्षण (Chi Square Test) का प्रयोग किया गया। जिसका सार्थक मूल्य (Significant Value) .00 निकल कर आया जो कि .05 से कम है अतः इससे स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर दोनों में सहसम्बन्ध (association) है।

अतः तालिका से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य के आधे से कम उत्तरदाताओं ने प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत किये गये सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधान को लेकर असहमती व्यक्त की है। वहीं एक चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं ने इस विषय पर अपनी सहमति प्रदान की जबकि एक चौथाई से कम उत्तरदाताओं ने इस विषय को लेकर अपनी कोई राय प्रदान नहीं की।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष व सुझाव

अतः अध्ययन से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में आधे से अधिक उत्तरदाताओं को भ्रूण हत्या सम्बन्धी कानून 1994 की जानकारी हैं। उत्तरदाताओं की कानून सम्बन्धी जानकारी का कारण उनकी उच्च शिक्षा व शहर क्षेत्र में आवास होना है। जिसके कारण उन्हें नई-नई

www.ignited.in

वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य में ज्यादातर (88.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत माता-पिता के लिए निर्धारित किये गए सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधान की जानकारी है वहीं चैंकाने वाली बात यह हैं अधिनियम के क्रियान्वित होने के 22 वर्षों के बाद भी लगभग एक तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं को अभी तक अधिनियम के बारे में नहीं जानते। जिससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए जागरूकता सम्बन्धी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। वही अध्ययन के अन्तिम भाग से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दिल्ली व हरियाणा राज्य के आधे से कम उत्तरदाताओं ने प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत किये गये सजा व जुर्माने सम्बन्धी प्रावधान को लेकर असहमती व्यक्त की है। वहीं एक चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं ने इस विषय पर अपनी सहमति प्रदान की जबकि एक चौथाई से कम उत्तरदाताओं ने इस विषय को लेकर अपनी कोई राय प्रदान नहीं की।

अतः अधिनियम के अन्तर्गत माता-पिता के लिए निर्धारित किये गये सजा व जुर्माने से सम्बन्धी प्रावधानों के प्रति अवगत कराने के लिए सरकार व स्थानीय प्रतिनिधियों को गाँव के पंचायत घर, आँगनवाडी केन्द्रों, सरकारी स्कूलों आदि की दीवारों पर लिंग जाँच व जुर्माने से सम्बन्धी जानकारी को लिखवाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस अधिनियम के प्रति जागरूक हो सके।

इस समस्या का समाधान केवल योजना व कानून बनाने से नहीं बल्कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाकर ही लिंगानुपात की स्थिति में सुधार ला सकते है तथा कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को समाप्त कर सकते है अतः लिंग जाँच और चयन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा शिक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है।[5] जिसके लिए कुछ आवयश्यक सुझाव प्रदान किये गये है।

- कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज प्रथा है, क्योंकि लड़की को दिये जाने वाले दहेज के डर से लोग लड़कियों को दुनिया में लाना ही नहीं चाहते। अतः दहेज विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

- स्थानीय स्तर पर लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों की सहायता लेनी चाहिए। जिसके लिए उन्हें इसकी सूचना देने वाले का नाम गुप्त व ईनाम के तौर पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी बढ़ाना चाहिए ताकि इस समस्या पर काबू पाया जा सके।

- प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों में, पंचायत भवन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर ब्रांडेड पोस्टरों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- समाज में महिलाओं का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन कन्या भ्रूण हत्या के कारण महिलाओं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। समाज में इस समस्या के प्रति हमें जन-जागृति फैलाने चाहिए तथा नाटक नुक्कड़, परिचर्चा, प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन शहरी व ग्रामीण स्तर पर करना चाहिए।[6]

- पुरूष प्रधान समाज एंव लैंगिक भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।

- कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कन्या भ्रूण हत्या सम्बन्धी विषय को पाठयक्रम में शामिल करके विधार्थियों को इस समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन काल में ऐसी गलती ना करें।

- विधिक दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की रोकथाम के लिए गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 तथा गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम 1994 में व्यापत अन्तर्विरोधी उपबन्धों में सुधार करते हुए उन्हें सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता है।

- केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड तथा राज्य सलाहकार समिति का भ्रूण लिंग जाँच करने वाले आनुवांशिक परामर्श केन्द्रों, लैबोरेट्रियों और क्लीनिकों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और चिकित्सकों पर उचित नियत्रण होना चाहिए। बोर्ड, समिति के कार्यों का समय-समय पर विश्लेषण किया जाना चाहिए।[7]

www.ignited.in

- जेनिसिलेक्टि किट कैमरा, एमआरआई तथा मोबाईल आकार के अल्ट्रासाउड सिस्टमों, सोमोग्राफी, अल्ट्रासाउड क्लीनिकों तथा मशीनों व भ्रूण जाँच से सम्बन्धी नये-नये अविष्कारों का पत्ता लगाकर उनके दुरूप्रयोग पर रोक लगाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

समाज के प्रत्येक वर्ग को इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए इस प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम को प्रभावशाली बनाने में अपना हर संभव योगदान देना चाहिए। निसंदेह सभी के प्रयासों से मिलकर ही बेटियों को जन्म लेने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

कुमारी सोनी, (जनवरी 2016). 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बालिकाओं को सशक्त करने की अनूठी पहल, नई दिल्ली: कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मासिक अंक 1, पृष्ठ संख्या 28.

गौतम, नीरज कुमार,(अगस्त 2013). "ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का बदलता स्वरुप" नई दिल्लीः कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मासिक अंक 8, पृष्ठ संख्या 23

महिला अध्ययन शोध केन्द्र, (2008). कुरूक्षेत्र, विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र पृष्ठ संख्या 25-26.

चन्देल धर्मबीर, (2014). "मानवाधिकार और महिला विमर्श", जयपुर पोइन्टर पब्लिशर्स, पृष्ठ संख्या 65-66.

पी॰सी॰और पी॰एन॰डी॰टी॰ एक्ट अधिनियम 1994 सैक्सन 06.

ज्ञानेन्द्र रावत, (2007). "कंस समाज में औरत", दिल्ली, क्रांति बुक सेन्टर, पृ॰ संख्या 76-77.

वही,पृ॰ संख्या 78.

मोहित साहनी, वर्मा नीरज, मथ्यु रजनी एंव नरूला, डी., 2008, भारत में लुप्त होती बेटियाँ, रेहान सेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 14.

Corresponding Author

Dr. Yogendra Singh*

Teaching Assistant, Political Science Department, Bhagat Phool Singh Women's University, Regional Center Lula Ahir, Rewari

dharam.jajoria@gmail.com